बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं0सं0–12 / स्था0–01–09 / 2024

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–3531 दिनांक 17.09.2026 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री जगमोहन कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता (असैनिक), (आई0डी0–जे0 10105), सम्प्रति सहायक अभियंता, दुर्गावती दांया तट नहर प्रमंडल, चेनारी द्वारा स्वयं की चिकित्सा में बितायी गयी अवधि दिनांक 04.09.2023 से 24.11.2023 (कुल–82 दिन) तक बितायी गयी चिकित्सा अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 230 एवं 248 (क) एवं 234 के आलोक में निम्नरूपेण रूपांतरित / उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है :–

(क) दिनांक 04.09.2023 से 22.11.2023 तक कुल (80 दिन) रूपांतरित अवकाश (80X2=160) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के तुल्य) बिहार सेवा संहिता के नियम–234 के तहत पूर्ण वेतन पर।

(ख) दिनांक 23.11.2023 से 24.11.2023 तक (02) दिनों के उपार्जित अवकाश (नियम–227, 230 एवं 248 (क) के तहत।

2. उक्त अवधि / अवधियों के बीच किसी भी अवधि / अवधियों का वेतन भत्ता यदि पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो तो, भुगतान की गयी राशि का समायोजन कर लिया जाय।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – ~~5917~~ पटना, दिनांक – ~~09/10/2026~~

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–3531 दिनांक 17.09.2026 के क्रम में / अधीक्षण अभियंता, दुर्गावती निर्माण अंचल, भीतरीबाँध, चेनारी / कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती दांया तट नहर प्रमंडल, चेनारी / श्री जगमोहन कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता (असैनिक) (आई0डी0–जे0 10105), सम्प्रति सहायक अभियंता, दुर्गावती दांया तट नहर प्रमंडल, चेनारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 5917 पटना, दिनांक – 09/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।